भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3654

24 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, 2047

3654. डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

श्री उज्जवल देवराव निकम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत से अब तक जांच किए गए जनजातीय व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और फ़रवरी 2026 तक, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, वितरित आनुवंशिक स्थिति कार्ड (जेनैटिक स्टेटस कार्डों) की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्च प्रसार वाले राज्यों में 'विवाह-पूर्व परामर्श'प्रदान करने और विशिष्ट उपचार केंद्र उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मंत्रालयों के बीच क्या समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उच्च प्रसार से निपटने हेतु स्थानीय पोषक पूरक तत्वों पर अनुसंधान के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) के अंतर्गत, सिकल सेल रोग (एससीडी) के निदान के लिए प्रभावित 17 जनजातीय राज्यों में जिला अस्पताल (डीएच) से आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में 0-40 वर्ष के लक्षित आयु वर्ग में जांच की जाती है।

राज्यों द्वारा एससीडी पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहित देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 6.97 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं। दिनांक 16.03.2026 की स्थिति के अनुसार, राज्यवार जांच की गई आदिवासी जनसंख्या और वितरित किए गए आनुवांशिक स्थिति कार्डों की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा वित्त पोषित एससीडी संबंधी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए लागत मानदंड निर्धारित किए हैं। अब तक जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 15 राज्यों में 17 सीओई को अनुमोदित किया गया है।

एससीडी के साथ जी रहे रोगियों को एएएम - उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और एएएम- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित सेवाएँ/सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं:

- नियमित अंतराल पर रोगियों का अनुवर्ती निरीक्षण।
- जीवनशैली प्रबंधन, विवाह-पूर्व और प्रसव-पूर्व निर्णयों के संबंध में परामर्श।
- फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण के माध्यम से पोषण पूरक सहायता।
- योग और स्वास्थ्य सत्र आयोजित करना।
- संकट के लक्षणों का प्रबंधन और उच्च केंद्रों को रेफर करना।

सरकार, एनएचएम (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन मातृ नवजात शिशु किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति के माध्यम से, आदिवासी क्षेत्रों सहित देश की आदिवासी आबादी में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें प्रसव-पूर्व परिचर्या, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर परिचर्या और परिवार नियोजन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है; जिसमें जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) जैसी योजनाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव, विस्तारित पीएमएसएमए, लक्ष्य, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन), सुविधा आधारित नवजात शिशु परिचर्या, कंगारू मदर केयर (केएमसी), मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), घर आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की घर आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम, मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), नियमित आउटरीच कार्यकलाप, आदिवासी बस्तियों में आशाओं और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा और जांच को बढ़ावा दिया जाता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, सरकार मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के लिए आहार मानदंड, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि वेस्टिंग, स्टंटिंग, एनीमिया और कम वजन की समस्या को दूर किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों को पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित है और गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है।

दिनांक 24.03.2026 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3654 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक

दिनांक 16.03.2026 की स्थिति के अनुसार जाँच की गई जनजातीय जनसंख्या और वितरित किए गए आनुवंशिक स्थिति कार्डों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**जांच किए गए लोगों की संख्या**	**वितरित किए गए आनुवंशिक स्थिति कार्डों की संख्या**
1	छत्तीसगढ़	1,73,52,532	1,02,91,526
2	मध्य प्रदेश	1,30,97,122	1,13,62,256
3	महाराष्ट्र	1,00,33,422	25,45,708
4	गुजरात	80,23,780	79,35,802
5	ओडिशा	62,71,477	33,13,308
6	राजस्थान	37,06,695	17,11,992
7	झारखंड	27,88,493	2,968
8	पश्चिम बंगाल	25,00,170	394
9	आंध्र प्रदेश	14,89,997	4,78,195
10	असम	11,82,605	1,53,858
11	तेलंगाना	11,37,233	5,41,261
12	उत्तर प्रदेश	7,64,871	4,41,716
13	तमिलनाडु	4,51,564	4,06,510
14	कर्नाटक	3,57,266	4,244
15	बिहार	2,40,335	63
16	उत्तराखंड	1,53,670	1,51,508
17	केरल	1,77,959	23,029
	कुल	**6,97,29,191**	**3,93,64,338**
